न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 07 / 2017 (76 एल .आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2017 / 00013

उनवान

रामदीन पुत्र फूल सिंह उम्र करीब 50 वर्ष जाति निषाद निवासी ग्राम देवदास का पुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

........................अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये अति0 जिला कलक्टर धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, राजाखेडा जिला धौलपुर।

.................................रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 26.12.2016 प्र.संख्या 55 / 2016 उनवानी रामदीन बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह उपस्थित।

निर्णय — दिनांक– 14.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 26.12.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार राजाखेडा ने आराजी खसरा नंबर 2247 रकवा 04 बीघा 01 विस्वा किस्म बंजड दोयम भूमि में से 10 विस्वा भूमि पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, पैनल्टी राशि आरोपित करने एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी / अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष की गई। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा उक्त अपील, अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2016 से खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है एवं ना ही उनके द्वारा कोई अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार राजाखेडा द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिर्पोट के आधार पर अपीलाण्ट को बिना सुने सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर के समक्ष विवादित आराजी पर भविष्य में कभी भी कब्जा नहीं करेगा, इस आशय का शपथ–पत्र भी पेश करने को तैयार था, किन्तु फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सजा माफ न करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नही आता है। अपने विशेष कथन में अपीलाण्ट द्वारा भविष्य में कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा नही करेगा, इस आशय का शपथ पत्र वक्त बहस देने का कथन करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर सिविल जेल की सजा माफ करने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि बंजड दोयम की भूमि है। जिस पर अपीलांट द्वारा अवैधानिक कब्जा किया गया है। अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नही है कि अपीलाण्ट विबादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी नही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलाण्ट द्वारा विवादित भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया जाना अंकित किया है। अतः अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में ही आता है एवं ऐसे पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के खिलाफ सिविल जेल एंव शास्ति कायम करना उचित ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई कानूनी भूल नही की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाण्ट का प्रमुखता से यह कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार राजाखेडा द्वारा सुनवाई का अवसर नही दिया व उन पर कोई नोटिस तामील नही हुआ है एवं विशेष कथन में अपीलाण्ट के कब्जा छोडे जाने का शपथ– पत्र प्रस्तुत करने को तैयार होने के बाबजूद तहत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा सिविल जेल की सजा माफ नही की। हमने दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया। नायब तहसीलदार राजाखेडा की पत्रावली में तामीलशुदा नोटिस संलग्न हैं, जो अप्रार्थी/ अपीलाण्ट के भाई हरेलाल द्वारा प्राप्त किया गया है। अतः अपीलाण्ट का यह कथन कि सुनवाई का अवसर नहीं मिला उचित नहीं है। अपीलाण्ट ने अपने विशेष कथन में निवेदन किया है कि वह न्यायालय अति0 जिला कलक्टर के समक्ष प्रथम अपील में अतिक्रमण हटाये जाने का शपथ–पत्र, प्रस्तुत करने को तैयार थे। कथित रूप से अतिक्रमण हटा लेने मात्र से, अपीलाण्ट अप्रार्थी दण्ड के दायित्व को नही टाल सकता है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार राजाखेडा ने उचित रूप से पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर एक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

माह की सिविल जेल आदेश पारित किया है एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपील सम्यक रूप से खारिज की गयी है। जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही पाते हैं।

6. वक्त बहस अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपीलाण्ट की ओर से अतिक्रमण हटाने का शपथ पत्र एवं पुनः अतिक्रमण नही करने का परिवचन (UNDERTAKING) देने की तत्परता दर्शाई गई है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 अन्तर्गत सिविल जेल सजा का उद्देश्य, अतिक्रमी को निरूद्ध कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना ही है। अपीलाण्ट कब्जा हटाने का शपथ पत्र देना एवं पुनः अतिक्रमण नहीं करना कहता है। अतः हम, अपील अल्पांश स्वीकार करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार राजाखेडा को निर्देशित करना चाहेंगें कि सिविल जेल क्रियान्वयन के क्रम में गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने से पूर्व मौके पर सत्यापन कर लेवें, यदि अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण हटाना पाया जावें एवं अपीलाण्ट पुनः भविष्य में अतिक्रमण नही करने का परिवचन दिनांक 20.07.2018 तक प्रस्तुत कर देवें, तो एक माह की सिविल जेल सजा स्थगित रखें। अपीलाण्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर सिविल जेल की सजा का क्रियान्वयन करें।

7. अतः अपील अपीलांट अल्पांश स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाये जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official